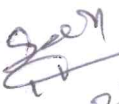


आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10-1-25	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। R.M.A. Case No.- 05/2015-16 अब्दुल मियाँ एवं अन्य बनाम खातुन बीबी एवं अन्य आदेश यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-32/1999-2000 में दिनांक-28.01.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर है। उक्त R.E. Case No.-32/1999-2000 में दिनांक-28.01.2015 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-लालचँदडीह, जोत सं0-12 अन्तर्गत दाग सं0-342 एवं दाग सं0-343 जो गत सर्वे सटेलमेन्ट में खतियानी रैयत मोही मियाँ के नाम से दर्ज है, के जमीन से अब्दुल मियाँ एवं अन्य को संचाल परगना कास्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेदी करते हुए खतियानी रैयतों के हाल के वारिशानों को वापस करने का आदेश दिया गया है। उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Joint Petition of Compromise दाखिल किया गया है। उभयपक्ष द्वारा मौजा-लालचँदडीह, जोत सं0-12 अन्तर्गत दाग सं0-342 एवं दाग सं0-343 पर अपीलकर्ता द्वारा घर बनाये जाना, उक्त जमीन पर Right Title, Interest and possession का होना उत्तरवादी द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन इस पक्ष में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरवादी को अपील आवेदन के स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन Joint Petition of Compromise के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वाद की कार्यवाही पर अभिरुची की अभाव व्यक्त किया गया। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-32/1999-2000 में दिनांक-28.01.2015 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-32/1999-2000 में दिनांक-28.01.2015 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए उभयपक्ष के अभिरुची के अभाव में अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, जामताड़ा।  उपायुक्त, जामताड़ा।	 6.2.25